



जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा,  
समस्त जिले।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत लाइन विभागों के कार्यकारी एजेन्सी होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) की प्रक्रियाओं बाबत।

प्रसंग :- समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दि. 02.03.2016 को लाइन विभागों की योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कुछ विभागों द्वारा सुझाव दिया गया कि लाइन विभागों की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार त्वरित अकुशल श्रमिक नियोजन एवं समय पर श्रम एवं सामग्री के भुगतान की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.09.2014 (प्रति संलग्न) को जारी निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी, पंचायती राज की तर्ज पर लाइन विभागों के महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उनके स्वयं के कार्यकारी संस्था के रूप में सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्देशों के तहत लाइन विभाग कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) द्वारा ऐसे अधिकारी का मनोनयन किया जाना था, जिनको आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त हों तथा वे विकास अधिकारी, पंचायत समिति से नीचे के स्तर के अधिकारी ना हो। इन्हें नरेगा सॉफ्ट से ई-मस्टररोल जनरेट करने, सभी भुगतान (श्रम एवं सामग्री) जरिये ऑन लाइन पे-ऑर्डर (एफटीओ) पद्धति से करने हेतु अधिकृत किया गया। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.10.2014 द्वारा आपको उक्त निर्देशों की प्रति लाइन विभाग के कार्यक्रम अधिकारी नामित कराने हेतु भिजवाई गई थी। साथ ही प्रमुख लाइन विभागों से नामित कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) की सूची प्राप्त कर समसंख्यक पत्र दिनांक 16.06.2015 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई गई थी।

प्रमुख लाइन विभागों द्वारा नामित कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	नामित कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग)
1.	जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता, उपखण्ड कार्यालय
2.	उद्यानिकी विभाग	सहायक निदेशक, उद्यानिकी
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	अधिशायी अभियंता (सिविल)
4.	पशुपालन विभाग	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी
5.	वन विभाग	क्षेत्रीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक
6.	मत्स्य विभाग	मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी एवं सहायक निदेशक, मत्स्य (जिला स्तरीय अधिकारी)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित कर सुचारु क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिला परिषद् द्वारा सभी नामित पीओ (LD) को नियमानुसार आवश्यक डीजिटल सिग्नेचर व लोगिन पासवर्ड उपलब्ध कराये जायेंगे तथा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी (लाइन विभाग) के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
2. जिलों द्वारा पीओ (LD) की सूची राज्य एमआईएस नोडल अधिकारी अधिशायी अभियंता (वी), ईजीएस को भिजवाई जावेगी, ताकि एमआईएस पर पीओ (LD) नामित करने की कार्यवाही की जा सके।
3. महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत जो अधिकार पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी को दिये गये हैं, वो समस्त अधिकार उन्हें योजना के तहत विभागीय कार्य हेतु दिये जावे।
4. पीओ (LD) द्वारा ग्राम पंचायत से कार्य के आवेदन प्रपत्र-6 में प्राप्त कर MIS में दर्ज किये जावेगे एवं कार्य की मांग तथा कार्य आवंटन कर e-Musteroll प्रिन्ट किये जावेगे एवं निर्धारित रजिस्टर-9(अ) संधारित किया जावेगा।

